राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 321/2025

नेमी चंद अजमेरा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधीक्षक अभियंता, जल संसाधन र्सकल, भीलवाड़ा।
5. श्री छोटे लाल कोली, कार्यकारी अभियंता जरिये संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीताराम भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 14.01.2025 को एक आदेश जारी किया, जिसके द्वारा अपीलार्थी कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन विभाग संभाग–ा, भीलवाड़ा के कार्यालय से जिला परिषद, भीलवाड़ा के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि केवल प्रत्यर्थी संख्या 5 को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए, दिनांक 14.01.2025 के उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 14 पर और निजी प्रत्यर्थी का नाम क्रम संख्या 13 पर उल्लेखित है। (अनुलग्नक–1) निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को सुविधा प्रदान करने के लिए, अपीलार्थी को दिनांक 14.01.2025 के आदेश के तहत स्थानांतरित कर दिया गया है। दिनांक 22.02.2024 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात कार्यकारी अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग संभाग–ा, भीलवाड़ा में

स्थानांतरित/पदस्थापित किया गया था। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी ने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर दिनांक 23.02.2024 को ही कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा उसी दिन अपीलार्थी द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। (अनुलग्नक–3) इस प्रकार दिनांक 23.02.2024 से अपीलार्थी अधिशासी अभियंता, जल संसाधन विभाग संभाग–प्रथम, भीलवाड़ा के पद पर कार्यरत है। मात्र साढ़े दस माह की अल्प अवधि में ही, दिनांक 10.01.2025 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को पुनः वर्तमान पदस्थापन स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति के अनुसार किसी कर्मचारी को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी विशेष स्थान पर दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी न कर ले। हालाँकि, मामले के इस पहलू को अनदेखा किया गया है। इसी आधार पर इस न्यायाधिकरण ने विभिन्न अपीलार्थियों द्वारा दायर अपीलों में अलग–अलग आदेशों के माध्यम से अल्प अवधि के आधार पर स्थानांतरण/तैनाती पर रोक लगा दी है। (अनुलग्नक–4) रामेश्वर दयाल गुर्जर बनाम राज्य के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी कर्मचारी को कम समय में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे राज्य के खजाने को नुकसान होता है। इस मामले में भी यही स्थिति है। हालाँकि, विद्वान न्यायाधिकरण मामले के पहलू पर विचार करने में पूरी तरह विफल रहा है और अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया है। अपीलार्थी ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादियों से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने गिर्राज शर्मा बनाम राज्य 2002 डब्ल्यूएलसी राज.यूसी पेज 721 और सत्यनारायण बनाम राज्य डब्ल्यूएलआर 1992 राज 317 में राजनीतिक हस्तक्षेप पर आधारित स्थानांतरण के आदेश को अपास्त कर दिया। राजनीतिक हस्तक्षेप की इसी समानता के आधार पर, अपीलार्थी के संबंध में आरोपित आदेश को अपास्त और अलग रखा जाना चाहिए। भगवान दास मित्तल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के मामले में यह भी माना गया कि दण्ड के परिणामस्वरूप कोई स्थानांतरण आदेश नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में लगभग छह महीने बचे हैं। उनकी जन्म तिथि 26.07.1965 है और अपीलार्थी 31.07.2025 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। पुष्पलता मेहता बनाम राज्य के मामले में, इस माननीय न्यायालय ने माना है कि यदि किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति में लगभग 2 वर्ष शेष हैं, तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ प्राप्त करने के लिए स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। दिनांक 10.01.2025 के आदेश (अनुलग्नक–1) के

अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 14.01.2025 अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को सभी परिणामी लाभों के साथ जल संसाधन विभाग संभाग–ा, भीलवाड़ा के कार्यकारी अभियंता कार्यालय में कार्यकारी अभियंता के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीताराम भाले)
अध्यक्ष